PAG-2243
27/9/19

R-458

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

2151 क्रमांक प. 2(2)(69)का/क–3/शि./2019 जयपुर, दिनांक : 28/8/19

आदेश

डॉ0 रामवतार दायमा, चिकित्सा अधिकारी(ईएनटी), राजकीय चिकित्सालय, जिला श्रीगंगानगर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध सख्या 199/2019 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनाक 16.07.19 को रगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

अतः राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 रामवतार दायमा को दिनांक 16.07.19 से निलम्बित माने जाने (deemed to have been suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ0 रामवतार दायमा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर के कार्यालय मे रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(जय सिंह)
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को डॉ0 रामवतार दायमा चिकित्सा अधिकारी(ईएनटी), राजकीय चिकित्सालय, जिला श्रीगगानगर के निलम्बन आदेश की प्रति सलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 दायमा को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस मे इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे ।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 रामवतार दायमा, चिकित्सा अधिकारी(ईएनटी), राजकीय चिकित्सालय, जिला श्रीगगानगर को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पजिका मे उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करे एव इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नही छोडे, इन्हे इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हे निलम्बन काल मे निर्वाह भत्ता एव ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगे।
7. डॉ0 रामवतार दायमा, चिकित्सा अधिकारी(ईएनटी), राजकीय चिकित्सालय, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर के कार्यालय मे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पजिका मे उपस्थिति अकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नही छोडे।
8. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. राव)
सहायक शासन सचिव

P.T.O.

मुख्य भवन, कमरा नं0 1241, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर–302005
दूरभाष नं0 0141–5153222 एक्सटेंशन–21926 फैक्स नं0 0141–2227986

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक :– सीबी/सीएएस/आर–523/2019/811 दिनांक 1/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग, राज. जयपुर के आदेश कमाक प 2(2)(69)कार्मिक/क–3/शिका./2019 दिनाक 28 08 2019 के कम में।
2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज जयपुर के कम मे।
3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन बीकानेर।
4 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर।
5 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीगगानगर, को भेजकर लेख है कि निलम्बित आदेश दिनाक 28 08 2019 डॉ0 रामवतार दायमा, चि.अ. (ईएनटी) राजकीय चिकित्सालय जिला श्रीगगानगर को तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाते हुये चिकित्सक को निलम्बित काल मे उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मुख्यालय निदेशालय, जयपुर मे निर्देशित करे।
6 डॉ0 रामवतार दायमा, चि.अ (ईएनटी), राजकीय चिकित्सालय जिला श्रीगगानगर।
7 आहरण एव वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
8 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन/एटी अनुभाग, मुख्यालय।
9 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
10 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।